## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व वाद संख्या :106/2024
निर्णय दिनांक : 25.11.2024
जीसीएमएस संख्या– 2024/216

जगदीश प्रसाद नायक पुत्र आदूराम जाति नायक निवारी गेड़ाप सुजानगढ़ जिला चूरू
................वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
................प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

**उपस्थित :–**

1. श्री रमेश बिस्सू एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू सत्यमेव जयते

### —:निर्णय:—

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खाता संख्या 518 के खसरा संख्या 252 तादादी 5.6776 हैक्टेयर वाके रोही गेड़ाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादी का नाम दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से वादी का बोलता नाम जगदीश पुत्र आदू के नाम 3/70 हिस्सा की खातेदारी अंकित कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम जगदीश प्रसाद नायक पुत्र आदूराम है जो कि वादी के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादी का नाम जगदीश पुत्र आदू हिस्सा 3/70 जाति नायक निवासी ग्राम गेड़ाप तहसील सुजानगढ़ खातेदार दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम जगदीश प्रसाद नायक पुत्र आदूराम जाति नायक है। जगदीश व जगदीश प्रसाद नायक दोनों एक ही व्यक्ति हैं अलग–अलग नहीं है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जगदीश पुत्र आदू के स्थान पर जगदीश प्रसाद नायक पुत्र आदूराम किया जाना उचित है।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड ,राशन कार्ड की प्रतिलिपि, बैंक पासबुक आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम जगदीश प्रसाद नायक अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

## आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 518 के खसरा संख्या 252 तादादी 5.6776 हैक्टेयर वाके रोही गेड़ाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम जगदीश पुत्र आदू जाति नायक निवासी गेड़ाप खातेदार के स्थान पर जगदीश प्रसाद नायक पुत्र आदूराम जाति नायक निवासी गेड़ाप खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को टंकित करवाया जाकर सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सुजानगढ़ जिला-चूरू

# डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

**(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)**

**(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)**

अज अदालत **उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ़**
वइजलास**श्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

**जगदीश प्रसाद नायक बनाम राज. सरकार**

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा न0 106 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रुहाजरी श्री रमेश कुमार बिस्सू एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 518 के खसरा संख्या 252 तादादी 5.6776 हैक्टेयर वाके रोही गेड़ाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम जगदीश पुत्र आदू जाति नायक निवासी गेड़ाप खातेदार के स्थान पर जगदीश प्रसाद नायक पुत्र आदूराम जाति नायक निवासी गेड़ाप खातेदार दर्ज किया जावे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज............................................मुबलिग ....................................................................... बाबत ................................

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ....................................................................................... फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ..............................................................................................................
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 25 माह 11. 2024**

ओमप्रकाश वर्मा
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

| मुद्दई | रुपया | पै. | मुद्दायलाई | रुपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प बकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील पर | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | इजराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये